

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (गृप-1) विभाग

क्रमांक प. 1 (116) एम.ई./गुप-1/1991

जयपुर, दिनांक 19/7/17

संशोधित आदेश

इस विभाग के आदेश दिनांक 29.05.2017 व 19.06.2017 के क्रम में निम्नलिखित चिकित्सक शिक्षकों के आदेशों को उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर संशोधित समझा जावे :-

क.सं.	चिकित्सक शिक्षक एवं पदनाम	विशिष्टता	कहाँ से	कहाँ को
1.	डॉ० गोरधन राम चौधरी	सहायक आचार्य यूरोलोजी	मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	मेडिकल कॉलेज, जोधपुर
2.	डॉ. गोविन्द शर्मा	सहायक आचार्य यूरोलोजी	मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	मेडिकल कॉलेज, बीकानेर

आज्ञा से,


(भगवत सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज० जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर/ बीकानेर।
5. संबंधित चिकित्सक शिक्षक मार्फत प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर/ बीकानेर।
6. रक्षित पत्रावली।


(महेश व्यास)
सहायक शासन सचिव